

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक : प.24(3)न्याय/2015

जयपुर, दिनांक 19.1.2021


::आज्ञा::

राजस्थान विधिक (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 1981 के नियम 35 के अन्तर्गत निम्नलिखित अस्थाई कनिष्ठ विधि अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित दिनांक से कनिष्ठ विधि अधिकारी के पद पर एतद्द्वारा स्थाई किया जाता है:-

क.सं.	नाम (सर्व श्री/श्रीमती/डॉ.)	स्थाईकरण दिनांक
1.	हिमांशु भाटिया	22.10.2013
2.	हिमांशु शर्मा	22.10.2013
3.	सुखदेवसिंह	22.10.2013
4.	भारती शर्मा	22.10.2013
5.	धर्मपाल शर्मा	18.01.2015
6.	सुमित शर्मा	18.01.2015
7.	तरुण दाधीच	22.10.2013
8.	अनामिका भूषण	22.10.2013
9.	जगमोहन मित्रुका	22.10.2013
10.	सविता गहलोत	22.10.2013
11.	रेखा चौधरी	22.10.2013
12.	शैलेन्द्र रंगा	25.01.2015
13.	सुरेश अग्रवाल	22.10.2013
14.	सुचित्रा चौधरी	22.10.2013
15.	साधना मिश्रा	26.08.2014
16.	अजय अग्रवाल	22.10.2013
17.	शबाना कुरेशी	22.10.2013
18.	रुची अग्रवाल	04.12.2015
19.	कपिल शर्मा	22.10.2013


क.सं.	नाम (सर्व श्री/श्रीमती/डॉ.)	स्थाईकरण दिनांक
20.	मनोज कुमार गुप्ता	22.10.2013
21.	ताराचंद खेतावत	22.10.2013
22.	वैशाली पाठक	05.09.2014
23.	मनोज बंशीवाल	22.10.2013
24.	ओमप्रकाश	22.10.2013
25.	आर.एस. लखावत	22.10.2013
26.	रेखा मीणा	22.10.2013
27.	नरेशपाल सिंह	22.10.2013
28.	हेमन्त कुमारी	22.10.2013
29.	रमेश चन्द्र मीणा	22.10.2013
30.	वंदना मीणा	22.10.2013
31.	प्रवीण कुमार मीणा	22.10.2013

आज्ञा से,


(पुरुषोत्तम लाल सैनी)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
2. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
3. संबंधित कार्मिक/रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव